नाना बोले : 3 साल पहले छोड़ चुका हूं नशा

पूछताछ के बाद सशर्त छोड़े गए नाना पटवारी

नव भारत न्यूज

इंदौर, 10 जुलाई. ब्राउन शुगर तस्करी की जांच में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से पूछताछ के बाद मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है.

शुक्रवार को जीतू पटवारी और नाना ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है और मामले की जांच जारी है. प्रेसवार्ता में नाना पटवारी ने स्वीकार किया कि वे करीब तीन वर्ष पहले तक नशे की लत के शिकार थे, लेकिन रिहैब सेंटर में इलाज कराने के बाद उन्होंने पूरी तरह नशा छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि उनका ड्रग तस्करी से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें केवल इसलिए परेशान किया क्योंकि वे जीतू पटवारी के भाई हैं. नाना ने बताया कि वे अपनी कार सर्विसिंग देने के लिए गए थे, तभी पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई. पूरे दिन उनसे पूछताछ की गई, लेकिन हिरासत में लेने का कारण नहीं बताया गया.

ब्राउन शुगर प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी और मानव गंगवानी के नाम सामने आए थे. इसी आधार पर दोनों से पूछताछ की गई। फिलहाल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है और न ही किसी को बेवजह फंसाया जाएगा.

डीसीपी जोन 1 नरेंद्र सिंह रावत

सरकार विपक्ष को बना रही है निशाना

प्रदेश सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बना रही है. भाई को बिना किसी ठोस साक्ष्य के हिरासत में लेकर परेशान किया गया.

पीसीसी अध्यक्ष, जीतू पटवारी

गुरुवार को राजेंद्र नगर पुलिस ने रेतमंडी चौराहे के पास से इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल उर्फ रॉनी को करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में दोनों ने नाना पटवारी और मानव गंगवानी का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की. देर रात पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें सशर्त छोड़ दिया.

वर्ग-2 शिक्षक भर्ती में प्रशासनिक लापरवाही

- नियमों के फेर में उलझी वर्ग-2 की भर्ती
- न मेरिट अपग्रेड हुई, न वेटिंग खुली

अभ्यर्थियों के अनुसार पहले वेटिंग की प्रक्रिया में भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन (डीवी) किया जाता था. जिससे डीवी में बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की खाली सीटों पर वेटिंग के अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर मौका मिलता था. लेकिन इस बार ये प्रक्रिया नहीं की गई. जिसको लेकर डीपीआई की तरफ से ये कहा गया था, कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद ही डीवी किया जाएगा. लेकिन अब विभाग की तरफ से इस मामले में सन्नाटा पसरा हुआ है.

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 10 जुलाई. प्रदेश में वर्ग 2 के शिक्षकों को नियुक्ति तो दे दी गई, लेकिन शिक्षक चयन परीक्षा प्रशासनिक विसंगतियों और नियमों में उलझती नजर आ रही है.

बता दें हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 के कुल 8 हजार 669 पदों में से केवल 4 हजार 67 पदों पर भर्ती की गई है. वहीं अभ्यर्थियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में मेरिट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई है. नियमानुसार यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 90 या उससे अधिक अंक लाने पर वो अनारक्षित श्रेणी (यूआर) की मेरिट में स्थान पाने का अधिकारी होते हैं. वहीं कई अभ्यर्थी उच्च मेरिट के कारण आरक्षित वर्ग की सूची में चयनित हैं लेकिन यूआर की वेटिंग लिस्ट में भी हैं. ऐसे में दस्तावेज सत्यापन में कई अभ्यर्थी तय मानकों को पूरा न करने के पर यूआर श्रेणी से बाहर भी होते हैं. जिसके बाद इन खाली सीटों पर 90 से अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अपग्रेड करके यूआर श्रेणी में शिफ्ट होना चाहिए था. लेकिन वर्तमान में ये प्रक्रिया नहीं हो रही है. जिससे आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी, और ईडब्ल्यूएस को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस विषय को लेकर डीपीआई आयुक्त और संचालक दोनों से संपर्क कर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो सकी.

एक नजर में

ठेले वालों और दुकानदारों पर ननि की सख्त कार्रवाई

सिंगरौली, नगर पालिक निगम आयुक्त सविता प्रधान के कड़े निर्देशों के तहत शहर को स्वच्छ और पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता उपनिरीक्षक विशाल सोनी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत टीम ने मुख्य बाजारों और सड़कों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर चालानी कार्रवाई की जा रही है। एसआई विशाल सोनी के नेतृत्व में मुस्तैद टीम ने सड़क पर कचरा एवं गंदगी फैलाने वाले सभी ठेले वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया और उन्हें अनिवार्य रूप से डस्टबिन का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी। इसी कार्रवाई के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया गया है। टीम ने विभिन्न ठेलों और दुकानों से भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन कैरी बैग्स को मौके पर जप्त किया है।इसके साथ ही अपनी दुकानों के बाहर कचरा फैलाकर गंदगी करने वाले स्थाई दुकानदारों पर भी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए हैं।आयुक्त सविता प्रधान के निर्देशन और एसआई विशाल सोनी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के माध्यम से सभी व्यापारियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करें और कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालें, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

झमाझम बारिश से तरबतर हुआ मध्यप्रदेश

24 घंटों में 4 इंच या उससे अधिक बारिश की संभावना

- एमपी में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई

भोपाल, 10 जुलाई . मध्य प्रदेश में जुलाई के पहले नौ दिनों की झमाझम बारिश ने मानसून की शुरुआती कमी की भरपाई कर दी है. प्रदेश में अब तक 234.4 मिमी (करीब 9.4 इंच) वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है.

पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का प्रभाव सबसे अधिक रहा है, जबकि पूर्वी अंचल के कुछ जिले अभी भी औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल हैं.

इस वर्ष 32 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, हरदा, बैतूल, खरगोन, मंदसौर, नीमच, बालाघाट और सिवनी सहित कई जिले शामिल हैं. वहीं पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और जबलपुर जैसे जिलों में अब भी वर्षा का आंकड़ा सामान्य से नीचे बना हुआ है.

मौसम विभाग ने पन्ना और सतना में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटों में इन जिलों में चार इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा और अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. विभाग के अनुसार आगामी चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा.

लगातार वर्षा के कारण नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा है. आगर-मालवा के नलखेड़ा में लखुंदर नदी उफान पर है और स्टॉप डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है. नर्मदापुरम सहित कई जिलों में नदी-नाले भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है.

यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026 आज

सीएम डॉ. यादव करेंगे शुभारंभ

सुझावों और संकल्पों का दस्तावेज सीएम को सौंपेंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ करेंगे.

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5 हजार युवाओं की सहभागिता वाले इस महाआयोजन का उद्देश्य युवा शक्ति को प्रदेश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, उनके विचारों को नीति निर्माण में शामिल करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है. कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, उद्यमिता, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, संस्कृति, पर्यावरण तथा सामाजिक विकास सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के युवा सहभागिता करेंगे.

कॉन्क्लेव की विशेषता क्रांति और ज्ञान के संगम का प्रतीक दो प्रेरक रैलियां होंगी. अमर शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) से प्रारंभ हुई आजाद युवा बाइक रैली तथा आदि शंकराचार्य की दीक्षा भूमि ओंकारेश्वर से प्रारंभ हुई शंकर संकल्प साइकिल यात्रा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर एक साथ अपने गंतव्य पर पहुंचेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव दोनों रैलियों के प्रतिभागियों का स्वागत एवं सम्मान करेंगे. कॉन्क्लेव में युवाओं को विभिन्न विषयगत समूहों में विभाजित कर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा.

नशामुक्ति अभियान 15 से

विशेष संवाददाता

भोपाल, 10 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस 15 से 30 जुलाई तक राज्यव्यापी नशामुक्ति जन-जागरूकता अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' चलाएगी. अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है.

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए. पुलिस महानिदेशक ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभियान की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि यह अभियान केंद्रीय गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 के अनुरूप संचालित होगा.

त्रिमुला इंडस्ट्रीज पर 19 .80 लाख रूपये का जुर्माना प्रस्तावित

प्रदूषण उल्लंघन पर त्रिमुला बंदी का प्रस्ताव, पर्यावरण नियम तोड़े, उत्पादन बंद करने की तैयारी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 10 जुलाई। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली द्वारा मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोंदवाली के विरुद्ध वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(क) के तहत उत्पादन प्रक्रिया बंद करने का प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को भेजा गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड मुख्यालय द्वारा पूर्व में उद्योग को जारी नोटिस के अनुपालन में उद्योग प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जवाब के भौतिक सत्यापन तथा कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशों के अनुसार 9 जुलाई को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में पर्यावरणीय मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए गए। निरीक्षण में पाया गया कि उद्योग में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अभाव में संचालन किया जा रहा था, जिससे वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। उद्योग परिसर में स्थापित सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली में पीएम-10 एवं पीएम-2.5 का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज किया गया। निरीक्षण के दौरान पावर प्लांट के समीप स्थापित सीएएक्यूएमएस का पीएम-10 एनालाइजर भी बंद पाया गया। निरीक्षण दल ने यह भी पाया कि डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन संयंत्र में ईएसपी एवं एयर कंप्रेसर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं थे, जिसके कारण चिमनी से अत्यधिक मात्रा में काला धुआँ उत्सर्जित हो रहा था। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन हॉपर से अत्यधिक फ्यूजिटिव उत्सर्जन, खुले स्थानों पर फ्लाई आयरन डस्ट एवं ठोस अपशिष्ट का भंडारण, खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था का अभाव तथा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किए जाने जैसी अनियमितताएँ भी पाई गईं।

19.80 लाख रूपये का जुर्माना प्रस्तावित- जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उद्योग प्रबंधन द्वारा पूर्व में जारी क्लोजर नोटिस में उल्लेखित बिंदुओं का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही उद्योग के विरुद्ध वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन है। उक्त तथ्यों के आधार पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने बोर्ड मुख्यालय को उद्योग पर लगभग 19.80 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने तथा अधिनियम की धारा 31(क)के अंतर्गत उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया बंद करने के निर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव भेजा है।

नाम सुधार सूचना

मै रोहणी प्रसाद दाहिया (Rohani Prasad Dahiya) पिता श्री तिलका (Tilaka Dahiya) निवासी ग्राम गहरी पो.चूंद मौहरिया तह.कोटर जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरा ड्राईविंग लाइसेंस बना हुआ है जिसका नं.MP19R-2021-0144106 है जिसमें मेरा नाम Rohni Kotwar व पिता का नाम T R Kotwar दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम Rohani Prasad Dahiya S/o Tilaka Dahiya है जो मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है अत: मेरे ड्राईविंग लाइसेंस में दर्ज नाम Rohni Kotwar S/o T R Kotwar के स्थान पर सही नाम Rohani Prasad Dahiya S/o Tilaka Dahiya दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

तबादला के 2 महीने बाद भी नहीं सौंपा प्रभार

लीड कॉलेज बैढ़न का मामला, जेम समेत अन्य का भी नही दिया पासवर्ड व आईडी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 10 जुलाई। जिला मुख्यालय बैढ़न के लीड कॉलेज के चर्चित प्राचार्य डॉ. एमयू सिद्धिक्की का तबादला होने के दो महीने बाद भी प्रभार यहां का नही सौपा है और न ही जेम पोर्टल समेत अन्य का आईडी-पासवर्ड दिया है।

हालांकि इस बीच स्थानांतरित प्राचार्य बीमारी बताकर अवकाश पर थे, जबकि वे तबादला रोकवाने भोपाल के साथ-साथ जबलपुर उच्च न्यायालय तक भाग-दौड़ कर रहे थे। डबल बैंच से भी राहत नही मिली। दरअसल लीड कॉलेज बैढ़न के प्राचार्य डॉ. एमयू सिद्धिक्की कटनी जिले के बोहरीबंद कॉलेज के लिए कई साल पहले भी हुआ था, लेकिन 30 अप्रैल को उच्च न्यायालय के दखल के बाद उन्हें उच्च शिक्षा विभाग से बोहरीबंद कॉलेज जाने के लिए निर्देश मिला। इस बीच वे मेडिकल अवकाश पर चले गये। सूत्र बताते हैं कि वे तबादला रोकवाने के लिए हर संभव प्रयास किये, अंतत: उच्च न्यायालय जबलपुर के डबल बैंच से भी स्थानांतरित प्राचार्य को राहत नही मिली, लेकिन महाविद्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य डॉ. एमयू सिद्धिक्की ने महाविद्यालय के प्रभार के साथ-साथ जेम पोर्टल समेत अन्य का पासवर्ड-आईडी प्रभारी प्राचार्य को नही सौपा है, जिससे महाविद्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा है। जबकि लीड कॉलेज से जिले के 9 महाविद्यालयों का मॉनिटरिंग यही से होती है। फिलहाल स्थानांतरित प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य, अब तक प्रभार क्यों नही दिये, इस पर भी तरह-तरह की चर्चाएं की जा रही है।

इनका कहना

महाविद्यालय का प्रभार अभी तक नही मिला और न ही जेम पोर्टल समेत अन्य का भी आईडी-पासवर्ड भी नही मिला है। यहां से स्थानांतरित प्रभारी प्राचार्य को समस्त प्रभार देने के लिए दो बार पत्राचार किया गया है, लेकिन उसका कोई जवाब नही आया है। कामकाज प्रभावित हो रहा है।

आरके झा
प्राचार्य, डिग्री कॉलेज, बैढ़न

गड़ेरिया कन्या शिक्षा परिसर में खेल सुविधाओं का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 10 जुलाई। जिले की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।

कलेक्टर गौरव बैनल ने पूर्व में कन्या शिक्षा परिसर गड़ेरिया के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया था। उस दौरान छात्राओं ने पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं पिकलबॉल कोर्ट की आवश्यकता बताई थी। कलेक्टर ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र खेल सुविधाएं विकसित कराने का आश्वासन दिया था। कलेक्टर के निर्देश एवं सतत मॉनिटरिंग के बाद परिसर में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा पिकलबॉल कोर्ट का निर्माण पूरा कर लिया गया। शुक्रवार को इन खेल सुविधाओं का विधिवत शुभारंभ छात्राओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम भी उपस्थित रहे। शुभारंभ के साथ ही सभी खेलों के लिए आवश्यक उपकरण भी छात्राओं को उपलब्ध कराए गए, जिससे वे तत्काल अभ्यास शुरू कर सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा कि शिक्षा के साथ खेल भी व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण आधार है। जिला प्रशासन बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारी, विद्यालय स्टाफ तथा बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।

बाड़ी काटने के विवाद में परिवार पर जानलेवा हमला

रीवा, 10 जुलाई, जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंभीरपुर में बाड़ी को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. पीड़िता सीमा उपाध्याय द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायत आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पड़ोस में रहने वाले कई लोगों ने एकराय होकर उनकी बाड़ी काट दी. विरोध करने पर आरोपियों ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और घर में घुसने का प्रयास किया. शिकायत के अनुसार, घटना के दौरान पीड़िता, उसकी पुत्री, दामाद तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट की गई.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक / प्रवा./ अपर कले./ 26 सतना दिनांक 24/06/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विकास कुमार साकेत पुत्र श्री जीवनलाल साकेत उम्र-21 वर्ष, (14/03/2005) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-मजदूरी स्थायी निवासी- ग्राम सुकवाह थाना-अमुआ तहसील-बिरसिंहपुर जिला सतना (म.प्र.)485226 एवं आवेदिका पायल शुक्ला पुत्री श्री कमलेश शुक्ला उम्र-19 वर्ष (18/09/2006) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-गृहणी स्थायी निवासी-वार्ड नं.14 गणेश नगर नई बस्ती सतना थाना कोलगवां तहसील-रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) 485005 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 06/04/2026 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 28/07/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक / प्रवा./ अपर कले./ 26 सतना दिनांक 02/07/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जनविजय कुमार प्रजापति पुत्र राजाराम प्रजापति उम्र- 41 वर्ष, (15/06/1985), स्थिति तलाकशुदा, व्यवसाय प्राइवेट नौकरी स्थायी निवासी ग्राम बरहाई, पोस्ट बरुआ थाना एवं तहसील मझगवां जिला सतना (म.प्र.) आवेदिका ममता प्रजापति पुत्री बालमुकुन्द प्रजापति (तलाकशुदा), उम्र-35 वर्ष (01/10/1991), व्यवसाय गृहणी स्थायी निवासी गोपाल टोला वार्ड नं. 10 नागौद थाना नागौद जिला सतना (म.प्र.) के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 29/06/2026 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 04/08/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला-सतना (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद् पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक 1015 / लो.नि.शा./ ई- निविदा / 2026 — पवई दिनांक 10 .07 .2026

ई-निविदा आमंत्रण - सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की राशि / कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा क्रय करने की तिथि एवं अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	2026_UAD _520695_1	Interception & Diversion of Nallahs with STP works Project of Pawai town under SBM 2.0	12 MONTHS PAC Rs : 32640000.00	Tender Form: 15000.00 EMD: Rs. 163200.00	11-07-2026 05:30 PM To 17-08-2026 05:30 PM

नोट :-निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा ।

लेखपाल
नगर परिषद पवई

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् पवई जिला - पन्ना (म0प्र0)

कार्यालय नगर पालिक निगम सतना (म0प्र0)

N.I.T क्र. 04 (E.T.) / जलप्रदाय / न.पा.नि./2026-27 — सतना, दिनांक 08.07.2026

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	निविदा क्र.व दि.	टे.क्र.	कार्य का प्रकार	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	सामग्री आपूर्ति की अवधि
01	04/01	2026_UAD _520067_1	पाइप लाइन बिछाने का कार्य विभिन्न स्थानों में (वार्ड क्रमांक 44) द्वितीय काल	19,70,015/-	39,500/-	2,000/-	03 माह
02	04/02 08.07.2026	2026_UAD _520068_1	विभिन्न प्रकार की पाइप लाइनों के संधारण कार्य निगम क्षेत्रान्तर्गत (द्वितीय काल)	33,89,830/-	50,000/-	5,000/-	वित्तीय वर्ष 2026-27
03	04/03 08.07.2026	2026_UAD _520069_1	एयर सर्किट ब्रेकर इनकमर पैनल क्रय।	9,00,000/-	18,000/-	2,000/-	01 माह

शर्ते :-

1. निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर दिनांक 09 .07 .2026 समय 16 .30 से दिनांक 28 .07 .2026 समय 17 .30 बजे तक ऑनलाइन भुगतान करने पर प्राप्त हो सकेगा ।
2. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

पेज एक का शेष

एंटी इंकमबेंसी का खतरा इसलिए बदला चेहरा

ये अटकलें आज शाम उस वक्त हकीकत में बदल गईं जब पार्टी ने दतिया की सियासत पर करीब डेढ़ दशक तक एकछत्र राज करने वाले अपने स्थापित चेहरे नरोत्तम मिश्रा को विश्राम देते हुए आशुतोष तिवारी के नाम पर दांव खेलना ज्यादा मुनासिब समझा. आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतारे जाने की पृष्ठभूमि में कई फैक्टर हैं. मसलन, वे संघ के प्रचारक रहने के बाद भाजपा में आए हैं. सरल सहज और सर्व उपलब्ध छवि रखते हैं. ग्वालियर में भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं. हालांकि अब यह पद समाप्त हो चुका है लेकिन संगठन मंत्री संघ के प्रतिनिधि के रूप में पार्टी पर नियंत्रण और दिशा निर्देशन की अहम जिम्मेदारी निभाता रहा है. संघ के एजेंडा पर पार्टी किस तरह आगे बढ़े, यह तय करना संभागीय संगठन मंत्री का ही दायित्व होता है. ग्वालियर चंबल में इस कसौटी पर आशुतोष तिवारी खरे साबित हुए थे और तभी से संघ की नजरों में चढ़े हुए थे. तत्कालीन शिवराज सरकार के कार्यकाल में आशुतोष एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और अन्य निगम बोर्ड अध्यक्षों की तुलना में उनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर माना गया था. इस बात में कोई शक नहीं कि कभी कांग्रेस और कभी सपा के कब्जे में रहने वाली दतिया सीट को डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपनी पंद्रह साल की विधायकी में भाजपा की पारम्परिक सीट बना दिया था लेकिन 2023 में बुंदेलखंड की इस सीट पर उनका जादू उतर गया और उन्हें कांग्रेस के राजेन्द्र भारती के मुकाबले शिकस्त मिली. बहरहाल, भाजपा दतिया के मामले में कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है, यही वजह है कि पार्टी ने नरोत्तम को ड्रॉप कर बिल्कुल नए चेहरे पर यकीन किया है. दतिया जिले की भांडेर तहसील के ग्राम पिपरौआ के निवासी आशुतोष ऐन मौके पर टिकट से वंचित किए गए अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की पारम्परिक सीट पर पार्टी को चुनावी वैतरणी किस तरह पार लगाएंगे, इसका पता तीन अगस्त को ही लगेगा जब ईवीएम खुलेंगी.